गुरमेल सिंह और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।

दिनांक अक्टूबर 17, 2022

[सी.टी. रविकुमार एवं सुधांशू धुलिया न्यायाधीशगण]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या- 2018 का 965

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपराधिक अपील नं- 1510/1982 में दिनांक 19.08.2014 द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध

अपीलार्थी की ओर से डॉ सर्वजीत शर्मा, मिस महिम खान, एस.के. वर्मा

प्रतिवादियों की ओर से सखा राम सिंह, सिनियर वकील अजय विक्रम सिंह, मिसेस प्रियंका सिंह

निर्णय सी.टी. रवि कुमार, न्यायाधीश द्वारा दिया गया ।

1. अपीलकर्ताओं सहित आठ अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 302/149 , 307/149 , 147 और 148 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में ' आईपीसी ')के तहत अपराधों के लिए सत्र परीक्षण संख्या 167/1981 में उत्तर प्रदेश में रामपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - III की अदालत के समक्ष मुकदमा चलाया गया था । दिनांक 10.06.1982 के फैसले के अनुसार उन सभी को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया था । इसके अलावा, यह पाया गया कि उनके खिलाफ धारा 307/149 के तहत अपराध नहीं बनाया गया था, लेकिन धारा 324/149 और 323/149 के तहत अपराध बनाया गया था। परिणामस्वरूप, उन्हें भी उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं सहित सात आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया और तीन अन्य को आईपीसी की धारा 147 के तहत दोषी ठहराया गया । आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । अन्य धाराओं के तहत दोषसिद्धि के लिए, उन्हें कारावास की अलग-अलग शर्तें दी गईं और सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संयुक्त रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 1510/1982 नामक अपील दायर की। इसके लंबित रहने के दौरान उनमें से सात की मृत्यु हो गई और परिणामस्वरूप, अपील को निरस्त मानकर खारिज कर दिया

गया। दिनांक 19.08.2014 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार, जीवित अपीलकर्ताओं - गुरमेल सिंह, केवल सिंह और करनैल सिंह की उक्त अपील खारिज कर दी गई और दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई। हालाँकि यह अपील गुरमेल सिंह और केवल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी, लेकिन बाद में इस अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अत: केवल सिंह की यह अपील निरस्त हो गई। इस अपील में करनैल सिंह शामिल नहीं हुए. संक्षेप में, यह अपील केवल प्रथम अपीलकर्ता - गुरमेल सिंह के मामले में ही जीवित रहती है और इसलिए, इस अपील में, इसके बाद, उसे 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2. अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी नंबर 3 था। अपील के वास्तविक दायरे को समझते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलें केवल आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के स्थान पर आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषसिद्धि को बदलने तक ही सीमित रखीं ।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को भी सुना गया।

4. संक्षेप में कहा गया है, अभियोजन मामला इस प्रकार है:

पीडब्लू-1 श्री दर्शन सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी नंबर 1 और 2 ठाकुर सिंह और चानन सिंह उसके पिता दलीप सिंह (बाद में - मृतक) के सगे भाई हैं। सगे भाईयों ने दो अलग-अलग विक्रय पत्रों के तहत रामपुर जिले के धुरियायी गांव में सोलह एकड़ जमीन खरीदी। दस एकड़ जमीन का विक्रय पत्र ठाकुर सिंह और चानन सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया था और शेष छह एकड़ जमीन को एक अलग विक्रय पत्र के तहत मृतक के पक्ष में पंजीकृत किया गया था। आपसी सहमति के आधार पर उक्त विक्रय विलेख के अंतर्गत आने वाली भूमि का विभाजन किया गया। चानन सिंह लंबे समय से कुंवारे थे और वह ठाकुर सिंह के साथ रह रहे थे और वे संयुक्त रूप से अलग-अलग खेतों के लिए बनाई गई बाड़ के पश्चिम की ओर पड़ी दस एकड़ जमीन पर खेती कर रहे थे, जिसे पार्टियों द्वारा हिंदी में 'मेंड' कहा जाता था, जो उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा (ऊर्ध्वाधर), पार्टियों की भूमि को अलग करने के लिए उठाई गई। मृतक उक्त मेड़ के पूर्व की ओर पड़े हिस्से पर खेती कर रहा था। हालांकि, देर से ही सही, ठाकुर सिंह और चानन सिंह ने जमीन की अदला-बदली की मांग की और मृतक को सोलह एकड़ की कुल सीमा के दक्षिण की ओर स्थित छह एकड़ जमीन पर खेती करने के लिए कहा ताकि वे खेती को प्रभावित करने में सक्षम हो सकें। यह बात मृतक को मंजूर नहीं थी । उक्त भाईयों के विवाद के कारण शुरू में सिविल मुकदमेबाजी हुई और बाद में यह दुर्भाग्यपूर्ण

घटना हुई जिसमें दलीप सिंह की जान चली गई। घटना की उत्पत्ति बोए गए खेत पर विवाद है जो सोलह एकड़ की कुल सीमा में से चार एकड़ की एक पट्टी है।

5. 26.10.1980 को, पीडब्लू-1, उनके माता-पिता और भाई अपने घर में थे जब उनका नौकर रोहताश उन्हें सूचित करने आया कि ठाकुर सिंह और चानन सिंह धान की फसल (दलीप सिंह द्वारा बोई गई) कटाई कर रहे थे, जिसे 20-25 मजदूरों का उपयोग करके काटा जा रहा था। मजदूर और इसके बाद वे वहां की ओर आगे बढ़े। पीडब्लू-1 के हाथ में लोहे की बोरी लगी लाठी थी और बाकी लोग निहत्थे थे। दलीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर ठाकुर सिंह और चानन सिंह को फसल काटने से रोकने के लिए कहा। ठाकुर सिंह *गंडासी* से लैस थे, करनैल सिंह तलवार से लैस थे, चानन सिंह और हरचरण सिंह *लाठियों* से लैस थे, गुरमेल सिंह (प्रथम अपीलकर्ता) बल्लम से लैस थे, सिंघरा सिंह निहत्थे थे, केवल सिंह (दूसरा अपीलकर्ता) के पास एक देशी कट्टा पिस्तौल और बचन सिंह, अवतार सिंह और करतार सिंह के हाथों में बंदूकें थीं। तब सह-अभियुक्त सिंघरा सिंह ने दलीप सिंह और उसके लोगों को खेत से बाहर निकालने का आदेश दिया और इस बीच, उनके द्वारा लगाए गए लोग फसल काटते रहे। जल्द ही, बचन सिंह, अवतार सिंह और केवल सिंह, जो आग्नेयास्त्र लेकर आ रहे थे, ने दलीप सिंह को मारने के उद्देश्य से उस पर गोली चलाई और आग्नेयास्त्र से घायल होने पर वह गिर गया। जब पीडब्लू-1 दलीप सिंह की ओर भागा तो अन्य आरोपियों ने उसे, उसके भाई निर्मल सिंह और दलीप सिंह को अपने हथियारों से घायल कर दिया। पीडब्लू-1 ने आत्मरक्षा में अपनी *लाठी* चलाई। जब आरोपी घटनास्थल से भाग गए, तो वह एक जीप लेने में कामयाब रहे और अस्पताल ले जाते समय दलीप सिंह की मौत हो गई।

6. क्या गैरकानूनी जमावड़ा था और क्या दलीप सिंह की मौत मानववध था, इस सवाल पर ठोस कारणों पर आधारित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमें उन्हें परेशान करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण या आधार नहीं मिला । इसी तरह, नीचे की अदालतों ने भी पाया कि ठाकुर सिंह और उनके लोग (आरोपी पक्ष) हमलावर थे और अभियोजन पक्ष दो आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् ठाकुर सिंह और चानन सिंह पर पाई गई चोटों की व्याख्या करने में सफल रहा है। हमारे सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमने पाया कि उन समवर्ती निष्कर्षों में भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों (इन्फ्रा संदर्भित) के मद्देनजर कुछ प्रश्न सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

7. अपीलकर्ता का तर्क यह है कि मृतक के शरीर पर पाई गई कोई भी मृत्यु-पूर्व चोटें उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, भले ही पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 निर्मल सिंह के साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाए। यह तर्क और तर्क कि आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषसिद्धि को एक में परिवर्तित किया जा सकता है , असंगत प्रतीत होता है, हालांकि पूरी तरह से असंगत नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता केवल एक *बल्लम* अर्थात एक भाला ले जा रहा था। प्रदर्श क.4 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बल्लम से चोट लगने की बात सामने नहीं आई। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि किसी भी दोषी के पास से कोई हथियार, ना सिर्फ *बल्लम* की बरामदगी नहीं हुई। इस तरह के तर्कों के साथ आगे बढ़ने से पहले, पीडब्लू-4 डॉ. एचबी भट्ट के साक्ष्य का उल्लेख करना उचित होगा जिन्होंने 27.10.1980 को दलीप सिंह के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया था और प्रदर्श क.4 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक को लगी मृत्युपूर्व चोटें निम्नलिखित थीं:

(1) 1 सेमी x 0.5 सेमी का बंदूक का घाव दाहिनी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद है, पॉप्लिटियल फोसा से 12 सेमी ऊपर है, जो दाहिनी जांघ के सामने की बाहरी सतह पर 5 सेमी x 1.5 सेमी के घाव से जुड़ा था, जो दाहिने घुटने से 9 सेमी ऊपर है। घाव के रास्ते में सभी रक्त वाहिकाएं और ऊतक फट गए थे। फीमर टुकड़े-टुकड़े हो गया था। घाव में गोलियों के चार टुकड़े पाए गए। त्वचा पर कोई कालापन, गोदना या झुलसना मौजूद नहीं था।

(2) प्रवेश द्वार का बंदूक की गोली का घाव 0.5 सेमी x 0.5 सेमी बाईं जाँघ के भीतरी पहलू पर मौजूद है जो बाएं पॉप्लिटियल फोसा पहलू से लगभग 13 सेमी ऊपर है जो प्रवेश के घाव से 0.5 सेमी 0.5 सेमी 4 सेमी ऊपर मौजूद घाव से जुड़ा था। कोई कालापन नहीं देखा गया.

(3) छोटी, अनामिका और मध्यमा अंगुलियों के बीच में 2 सेमी x1 सेमी माप वाली खरोंच मौजूद है।

(4) बाएं कान से 12 सेमी ऊपर सिर के बाईं ओर 6 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी का गहरा घाव।

(5) दाहिनी बांह के पीछे दाहिनी कलाई के जोड़ से लगभग 3 सेमी ऊपर चोट 3 सेमी x 1 सेमी।

8. पीडब्लू-4 डॉ. एचबी भट्ट ने बताया कि मौत का कारण सदमा और चोटों के कारण रक्तस्राव था। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि चोटें मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त थीं। हम पहले ही मान चुके हैं कि समवर्ती निष्कर्ष कि दलीप सिंह की मृत्यु हत्या थी, ठोस कारणों पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चोट नंबर 1, जो ऊपर बताए अनुसार बंदूक की गोली का घाव है, ने घाव के रास्ते में रक्त वाहिकाओं और ऊतकों को पूरी तरह से फाड़ दिया था

और उक्त घाव के आकार से पता चलता है कि यह बहुत गंभीर है। बंदूक की गोली से लगी दूसरी चोट भी उतनी ही गंभीर प्रकृति की है। इस प्रकार PW-1 और PW-2 के साक्ष्य को प्रदर्श क-4 रिपोर्ट के साथ PW-4 के साक्ष्य से समर्थन मिलेगा कि मृतक को बन्दूक की गोली लगी थी और उसकी मृत्यु बंदूक की गोली के घाव से हुई थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बंदूक की गोली की चोटों के अलावा, मृतक को तीन और मृत्यु-पूर्व चोटें लगी थीं। अपीलकर्ता के तर्क को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह पीडब्लू-1-दर्शन सिंह और पीडब्लू-2-निर्मल सिंह को लगी चोटों के लिए प्रासंगिक है, जो मृतक के बेटे हैं। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में उनकी गवाही इस आशय की है कि उन्हें भी उसी घटना में चोटें लगी थीं, उन्हें पीडब्लू-3 डॉ. एनके टंडन के साक्ष्य तथा प्रदर्श क.2 और प्रदर्श क.3. से समर्थन मिलता है। पीडब्लू-3 के साक्ष्य के अनुसार प्रदर्श क.3, PW-1 दर्शन सिंह को निम्नलिखित चोटें लगी थीं:-

(1) घर्षण, 2 सेमी x ¼ सेमी, बाएं हाथ के कंधे पर पीछे की ओर।

(2) बायें कंधे के पिछले हिस्से पर 2½ सेमी x 1 सेमी का घाव।

(3) कटा हुआ घाव, बाएं कंधे पर पीछे की ओर 3 सेमी x ¾ सेमी x ½ सेमी।

(4) बाएं कान के ऊपरी हिस्से में 5 सेमी x 1½ सेमी का घाव।

(5) सिर के पिछले हिस्से में 3 सेमी x ½ सेमी x हड्डी का गहरा घाव। एक्स-रे की सलाह दी गई.

(6) पीठ पर 5 सेमी x 2 सेमी का घाव ।

(7) बाएं कंधे के पीछे की ओर 2 सेमी x 1 सेमी का घाव ।

9. पीडब्लू-3 का साक्ष्य के साथ प्रदर्श क.2 से पता चलेगा कि PW-2 - निर्मल सिंह को निम्नलिखित चोटें लगी हैं:

(1) निचली भुजा में 3 सेमी x 2 सेमी, बायीं ओर 5 सेमी, ऊपरी भाग में कलाई के जोड़ के ऊपर घिसा हुआ घाव ।

(2) कन्फ्यूजन, बायीं भुजा पर ऊपरी भाग पर 5 सेमी x 1½ सेमी।

(3) सिर के बीच में 3½ सेमी x ½ सेमी x हड्डी तक गहरा घाव, फटा हुआ घाव। एक्स-रे की सलाह दी गई.

10. हालांकि यह पाया गया कि अपीलकर्ता और अन्य सह-दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307/149 के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया था , लेकिन चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जाहिर तौर पर उन्हें धारा 324/149 और 323/149 के तहत दोषी ठहराया गया था । नीचे की अदालतों ने माना कि पीडब्लू 1 और 2 ने अपीलकर्ता की उपस्थिति और भागीदारी के संबंध में विशेष रूप से गवाही दी थी। हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया जिससे यह पता चले कि नीचे दी गई अदालतों का यह निष्कर्ष कि उनकी गवाही को अविश्वसनीय बनाने के लिए पीडब्लू 1 और 2 से कोई गंभीर विरोधाभास सामने नहीं लाया गया। ऐसी परिस्थितियों में, पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य, जिन्हें पीडब्लू4 के और प्रदर्श क. 2 और प्रदर्श क. 3 तथा पीडब्लू 3 के साक्ष्य से समर्थन प्राप्त होता है जिसे केवल भरोसेमंद माना जा सकता है, जैसा कि नीचे की अदालतों ने माना है। उनके साक्ष्य, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा माना गया है, गैरकानूनी जमावड़े को उजागर करेगा जिसमें अपीलकर्ता भी सदस्य था। अन्यथा भी, जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता की दलीलों से पता चलेगा कि गैरकानूनी जमावड़े में सदस्यता गंभीर चुनौती में नहीं है और उसका मुख्य तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष ने उसकी ओर से कोई प्रत्यक्ष कार्य स्थापित नहीं किया है। दोषसिद्धि में बदलाव के लिए आगे के तर्क की सराहना करने के उद्देश्य से इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण आगे उजागर किए गए तथ्य के परिणाम, यदि कोई हो, को देखकर किया जाना चाहिए कि दस में से आठ दोषियों की उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष अपील की लंबित अवधि के दौरान या उससे पहले मृत्यु हो गई है।

11. उपरोक्त तर्कों के संदर्भ में कुछ अन्य संबद्ध प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक हो गया है। उस संबंध में पहला सवाल यह है कि जब एक बार अभियोजन पक्ष ने गैरकानूनी सभा में किसी आरोपी/दोषी की सदस्यता स्थापित कर दी, तो क्या व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कार्य को भी अभियोजन पक्ष द्वारा रचनात्मक/प्रतिस्पर्धी दायित्व के सिद्धांत पर दोषी ठहराने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए । हमारे अनुसार, आईपीसी की धारा 149 के तहत शब्दावली को देखते हुए अभियोजन पर ऐसा कोई बोझ नहीं डाला जा सकता है । हालाँकि उस प्रश्न पर निर्णयों की श्रेणियाँ हैं, हम सोचते हैं कि **अमेरिका राय और अन्य बनाम बिहार राज्य (AIR 2011 SC 1379), सुरेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (AIR 2012 SC 1743) और यूनिस उर्फ करिया बनाम मप्र राज्य (एआईआर 2003 एससी 539)** के निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त है। **अमेरिका राय** के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय दिमाग के साथ एक गैरकानूनी सभा में उपस्थिति भी एक व्यक्ति को गैरकानूनी सभा के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी बना देगी। **सुरेंद्र के मामले** (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि सामान्य उद्देश्य का अनुमान विभिन्न कारकों से

लगाया जाना चाहिए जैसे कि हथियार जिनके साथ सदस्य सशस्त्र थे, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा किए गए हिंसा के कार्य और परिणाम। **यूनिस के मामले** (सुप्रा) में यह माना गया कि गैरकानूनी सभा के एक भाग के रूप में अभियुक्त की उपस्थिति उसकी सजा के लिए पर्याप्त है। आगे यह माना गया कि जब गैरकानूनी जमावड़े के हिस्से के रूप में घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति विवादित नहीं थी, तो यह उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, भले ही उसके लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य जिम्मेदार न हो।

12. अपीलकर्ता की दलीलों की सराहना करने के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या सह-अभियुक्तों की मृत्यु के कारण दोषियों की संख्या पांच से कम होने का आईपीसी की धारा 149 के मद्देनजर उनके/उनके, परोक्ष दायित्व पर विचार करने जीवित दोषियों पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। इस स्थिति पर कोई दो राय नहीं हो सकती है कि किसी अपील में सह-अभियुक्तों/सह-दोषियों के बरी होने के कारण अभियुक्तों/दोषियों की संख्या में पांच से कम की कमी और सह-दोषियों की मृत्यु के कारण संख्या में पांच से कमी अलग और विशिष्ट हो सकती है। पूर्व स्थिति का प्रभाव अब अभिन्न नहीं रह गया है। **अमर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य** ((1987) 1 एससीसी 679) के फैसले में सात व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 148 , धारा 302 सहपठित धारा 149 , के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे । अभियोजन पक्ष के लिए ऐसा कोई मामला नहीं था कि अपराध के कमीशन में अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। यह माना गया कि सात आरोपियों में से तीन को बरी कर दिए जाने के कारण शेष चार को आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 148 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था ।

13. **नेथला पोथुराजू और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** ((1992) 1 एससीसी 49) में भी इस स्थिति को दोहराया गया था। वह एक ऐसा मामला था जहां अभियोजन का मामला यह था कि सात आरोपियों ने एक गैरकानूनी सभा बनाई और एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए हत्या की और उन पर आईपीसी की धारा 302/149 के तहत आरोप लगाए गए । उनमें से चार को बरी कर दिया गया। अपील में इस न्यायालय ने माना कि उक्त तथ्यात्मक स्थिति में शेष तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 149 लागू करके दोषी नहीं ठहराया जा सकता था । साथ ही, यह भी माना गया कि आईपीसी की धारा 149 की गैर-प्रयोज्यता आरोपी/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में बाधा नहीं होगी यदि साक्ष्य एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए अपराध के कमीशन का खुलासा करेगा ।

उक्त प्रावधान और ऊपर उल्लिखित निर्णयों से पता चलेगा कि परीक्षण यह है कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति पाँच या अधिक होने चाहिए। हम यह भी जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति साधारण दर्शक हैं, उन्हें उस मामले से बाहर रखा जाना चाहिए।

14. जैसा कि ऊपर कहा गया है, सह-दोषियों की मृत्यु के कारण अपील लंबित दोषियों की संख्या में कमी का प्रभाव तथा आरोपियों/दोषियों की संख्या में बरी होने के कारण कमी के प्रभाव से भिन्न होना तय है। दोषमुक्ति सीआरपीसी की धारा 394(1) के अनुसार धारा 377 या धारा 378 के तहत प्रत्येक अपील अंततः अभियुक्त की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी। इसकी उप-धारा (2) में प्रावधान है कि अध्याय-XXIX के तहत हर दूसरी अपील (जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील को छोड़कर) अंततः अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी। स्थिति यह है कि जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील को छोड़कर हर अपील, अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में अपील के तहत सजा को अब निष्पादित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि धारा 394 सी.आर.पी.सी. में पदावली यह सुझाव दिया जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के संबंध में इसके प्रावधानों को कोई आवेदन नहीं मिला है, यह स्थिति इस न्यायालय द्वारा ***हरनाम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*** ((1975) 3 एससीसी 343) और ***हरि प्रसाद छापोलिया बनाम यूओआई*** ((2008) 7 एससीसी 690) के निर्णयों में अन्यथा तय की गई थी। **हरनाम सिंह के मामले** (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि धारा 394 सीआरपीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के संबंध में कोई आवेदन नहीं मिला और इसलिए, सवाल यह है कि क्या इसके तहत अपील अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी जब यह उस धारा द्वारा सख्ती से शासित नहीं होती है। इसके अलावा यह माना गया कि एकरूपता के हित में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील पर आवेदन करने का कोई वैध कारण नहीं है, नियमों का एक सेट उन नियमों से अलग है जो संहिता के तहत अपील को नियंत्रित करते हैं। **हरि प्रसाद छापोलिया के मामले (सुप्रा)** में इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 394 के सिद्धांतों को माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपीलों पर लागू होगा।

15. सीआरपीसी में 'एबेटमेंट' या 'एबेट' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। उक्त परिस्थितियों में इसके शब्दकोषीय अर्थ पर गौर करना होगा। जैसा कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 10 वें संस्करण में दिए गए अर्थ के अनुसार आपराधिक कार्यवाही से संबंधित है, उपशमन का अर्थ है 'मुकदमेबाजी के सामान्य पाठ्यक्रम में समाप्त होने से पहले आपराधिक कार्यवाही को बंद करना, जैसे कि जब प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है।' इस

प्रकार, यह देखा जा सकता है कि उपशमन का अर्थ केवल आपराधिक कार्यवाही में 'आरोपी/दोषी की मृत्यु के कारण ऐसी कार्यवाही को बंद करना' के रूप में लिया जा सकता है। संक्षेप में, इससे पता चलेगा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील (जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील को छोड़कर) अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी क्योंकि ऐसी स्थिति में, अपील के तहत सजा को अब निष्पादित नहीं किया जा सकता है। उपशमन निश्चित रूप से दोषमुक्ति से भिन्न है और सीआरपीसी की धारा 394 (2) के परंतुक पर एक नज़र डालने से यह स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। उक्त परंतुक इस प्रकार पढ़ता है:

> "बशर्ते कि जहां अपील किसी दोषसिद्धि और मौत या कारावास की सजा के खिलाफ है, और अपीलकर्ता की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसका कोई भी करीबी रिश्तेदार अपीलकर्ता की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर अपीलीय न्यायालय के पास अपील जारी रखने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि अपील जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो अपील समाप्त नहीं होगी।"

16. उपरोक्त चर्चा का सारांश यह है कि केवल यह तथ्य कि दस में से सात दोषियों की मृत्यु, या तो उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 1510/1992 के लंबित रहने के दौरान या इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो जाती है तो यह गैरकानूनी सभा द्वारा सामान्य उद्देश्य की उपलब्धि से उत्पन्न होने वाले रचनात्मक/प्रतिस्पर्धी दायित्व के प्रावधान की गैर-प्रयोज्यता को प्रचारित करने के लिए, स्वयं एक कारण नहीं बनेगा ।

17. उपर्युक्त बिंदुओं को उपरोक्त मानने के बाद, अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या अपीलकर्ता का यह तर्क कि धारा 302/149 के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 के तहत भाग- I या भाग- II के साथ आईपीसी की धारा 149 के रूप में बदला जा सकता है। हमने पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। उन्हें आईपीसी की धारा 302 और धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया था , इसलिए, गैरकानूनी सभा में अपीलकर्ता की सदस्यता के बारे में समवर्ती निष्कर्ष के साथ हमारे समझौते के मद्देनजर, अपीलकर्ता किसी एक द्वारा किए गए कृत्य के लिए रचनात्मक/प्रतिस्पर्धी दायित्व से बच नहीं सकता है, यदि गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य हत्या करना था और गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था। आईपीसी की धारा 149 के आधार पर उस सभा के सदस्यों को , हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि धारा 149 का उद्देश्य उस व्यक्ति को विशिष्ट

बनाना है, जिसका मामला इसके दायरे में आता है, उसे यह बचाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने अपने हाथ से, सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया अपराध नहीं किया है। गैरकानूनी सभा का.

18. हम पहले ही **सुरेंद्र के मामले में** निर्णय का उल्लेख कर चुके हैं जहां इस न्यायालय ने माना था कि सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष विभिन्न कारकों से निकाला जाना चाहिए, जैसे कि, वे हथियार जिनके साथ सदस्य सशस्त्र थे, उनके आंदोलन, उनके द्वारा की गई हिंसा के कार्य उन्हें और परिणाम. **कुलदीप यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य** ((2011) 5 एससीसी 324) इस न्यायालय ने माना कि धारा 149 , आईपीसी को लागू करने के लिए , यह दिखाया जाना चाहिए कि गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभियोगात्मक कार्य किया गया था और यह जानकारी में होना चाहिए अन्य सदस्यों के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना है। **जय करण एवं अन्य बनाम यूपी राज्य** ((2003) 12 एससीसी 655) अपीलकर्ता जय करण और बाबू को धारा 148 , 302 सहपठित धारा 149 और 323 सहपठित धारा 149 , आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और दूसरे अपीलकर्ता वीर भद्र को धारा 148, 302 सहपठित धारा 149 और 323 के साथ आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित के तहत दोषी पाया गया । निचली अदालत ने पाया कि आरोपी व्यक्ति बंदूक, कांता और बांका से लैस थे, और उन्होंने मृतक की मौत और अन्य को घायल कर दिया। इस न्यायालय ने माना कि गवाहों के साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य से पुष्ट हुए और परिणामस्वरूप आरोपित अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। निर्णयों और निर्णयों से उभरी कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर बताए गए प्रश्न पर विचार करेंगे।

19. अब, हम आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराधों के कमीशन में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी न होने के प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार करेंगे। उस संबंध में, **राकेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** ((2021) 7 एससीसी 188)के निर्णय का उल्लेख करना ही उचित है। यह, जहाँ तक प्रासंगिक है, इस प्रकार पढ़ता है:

> “किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी आवश्यक शर्त नहीं है। पीडब्लू1 और पीडब्लू2, जैसा कि ऊपर देखा गया है, घटना के विश्वसनीय और भरोसेमंद चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि ए-1 राकेश ने बंदूक से गोली चलाई और मृतक को चोट लगी। बंदूक से चोट की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और डॉ. संतोष कुमार, पीडब्लू5 के बयान से की गई है। चोट 1 बंदूक की गोली से लगी है। इसलिए, PW1 और PW2 - जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने गोलीबारी देखी थी, के विश्वसनीय नेत्र साक्ष्य को अस्वीकार करना संभव नहीं है। इसका PW1 और

PW2 के बयान की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ता है कि A-1 की मौत बंदूक से हुई है, विशेष रूप से इसकी पुष्टि शरीर में लगी गोली से होती है और PW2 और PW5 की गवाही से भी इसकी पुष्टि होती है। इसलिए, केवल इसलिए कि बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चलता है कि बरामद गोली बरामद बंदूक से मेल नहीं खाती है, PW1 और PW2 के विश्वसनीय और विश्वसनीय बयान को अस्वीकार करना संभव नहीं है।"

उक्त परिस्थितियों में तथा **राकेश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (सुप्रा)**, मामले में निर्णय के आलोक में हथियारों की बरामदगी न होना घायल चश्मदीद गवाहों यानी पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। अब, हम तत्काल मामले में साक्ष्य का उल्लेख करेंगे। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2, जो घायल गवाह थे, के साक्ष्यों पर केवल इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता या उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मृतक के बेटे हैं। इस पद को धारण करने वाले किसी भी निर्णय के बारे में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मृतक का रिश्तेदार होना उनके संस्करण को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह स्थिति लगभग तय हो चुकी है। इस मामले में, नीचे की अदालतों ने पाया कि बचाव पक्ष द्वारा पीडब्लू 1 और 2 से ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया गया जिससे उन्हें अविश्वसनीय बनाया जा सके। वास्तव में, आग्नेयास्त्रों को ले जाने और गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा उनके उपयोग के संबंध में उनके साक्ष्य को पीडब्लू-4 के साक्ष्य से तथा प्रदर्श क.4 से पुष्टि मिलती है। उनका कथन है कि गैरकानूनी सभा के कुछ सदस्य अन्य घातक हथियार ले जा रहे थे, इसकी पुष्टि पीडब्लू-3 के साक्ष्य से तथा प्रदर्श क.2 एवं प्रदर्श क. 3 से भी होती है। हमने उन पहलुओं का उल्लेख केवल इस तथ्य पर जोर देने के लिए किया है कि नीचे की अदालतों द्वारा पीडब्लू 1 और 2 को भरोसेमंद गवाह के रूप में रखा गया है।

20. पीडब्लू के साक्ष्य. 1 और 2 से पता चलेगा कि गैरकानूनी सभा के सदस्यों के पास आग्नेयास्त्र थे और उन्होंने उनका इस्तेमाल मृतक दलीप सिंह के खिलाफ किया। अन्य घातक हथियारों का इस्तेमाल दलीप सिंह के खिलाफ और उनके खिलाफ भी किया गया था। जब तथ्य यह है कि दलीप सिंह को दो गोलियां लगीं और उसके बाद भी, गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा उन पर हमला किया गया, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सामान्य उद्देश्य दलीप सिंह की हत्या करने के अलावा कोई और था। इनमें से एक शॉट नजदीक से लिया गया था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इससे न केवल घाव के रास्ते में रक्त वाहिकाएं और ऊतक फट गए, बल्कि फीमर के भी टुकडे हो गये, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। यह नहीं माना जा सकता कि केवल एक ही गोली लगी थी, क्योंकि दूसरी गोली बायीं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर लगी थी। पीडब्लू 1 और 2 के सबूतों से पता चलता है कि ऐसी बंदूक की गोली से घायल होने पर दलीप सिंह गिर

गया और जब उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया तो उन पर हथियारों से हमला किया गया। इसके अलावा दलीप सिंह, जो तब तक जमीन पर गिर चुके थे, पर फिर से हमला किया गया। जब कोई व्यक्ति जो गोली लगने से घायल हो गया था और अत्यधिक खून बह रहा था, उस पर दोबारा हमला किया गया और जो लोग उसे बचाने आए, उन पर भी हमला किया गया, ऐसी परिस्थितियों से केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामान्य उद्देश्य उस व्यक्ति की जान लेना था। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, नीचे अदालतों द्वारा सराहना किए गए सबूतों से पता चला कि उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य दलीप सिंह की हत्या करने का था, तथा यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग कर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह है कि गैरकानूनी सभा के सदस्य, दस की संख्या में, न केवल आग्नेयास्त्रों से, बल्कि अन्य घातक हथियारों से भी लैस होकर उस स्थान पर एकत्र हुए थे और जिस तरह से उन्होंने हिंसा की और अंतिम परिणाम दिया, वह निश्चित रूप से उक्त बात का समर्थन करता है।

21. इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि गैर इरादतन हत्या को हत्या बनाने के लिए जिस कार्य से मृत्यु हुई है, वह न केवल आईपीसी की धारा 300 के तहत किसी एक या अधिक खंडों, पहले से चौथे तक, के अंतर्गत आना चाहिए, बल्कि उन्हें आईपीसी की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। हालांकि अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 302/149 के तहत दोषसिद्धि को 304/149 के तहत बदला जा सकता है, लेकिन यह एक तथ्य है कि वह इसे आईपीसी की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी में भी लाने में विफल रहा है । जब ऐसा है, तो इस तर्क पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है कि गैर इरादतन हत्या का अपराध या तो 304 (भाग I) या 304 (भाग II) के अंतर्गत आता है।

22. जब उपरोक्त इस मामले में प्राप्त स्थिति है, तो हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ दी गई सजा और सजा की पुष्टि की गई। इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज

Avanika Gautam